न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी – 2613 – II/2015

कृष्णकुमार तनय स्व0 श्री रामसुन्दर गर्ग उम्र 57 वर्ष पेशा कृषि कार्य निवासी ग्राम गडरिया तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

आवेदक / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

राघवेन्द्र प्रसाद तनय स्व0 श्री रामसुन्दर गर्ग उम्र 66 वर्ष निवासी ग्राम गडरिया तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

अनावेदक / गैर निगरानीकर्ता

श्री दर्शित चतुर्वेदी अधि. 13.8.15

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा के अपील राजस्व प्रकरण क्र0 150 / अ 27 / 2012–13 मे पारित आदेश दिनॉक 28.07.2015 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर ,

निगरानी के आधार अन्य के अतिरिक्त निम्न लिखित है :–

1.) यह कि अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 के अपील प्रकरण क्रमांक 150 / अ 27 / 2012–13 में पारित आदेश दिनॉक 28.07.2015 जिसके द्वारा अनावेदक / गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है जो आदेश विधि एवं प्रकिया के बिपरीत होने से निरस्तनीय है।

कृष्णकुमार गर्ग

(80)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/2613/दो/15, रीवा

कृष्णकुमार / राघवेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9-1-19	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हुजूर, रीवा के प्रकरण क्रमांक 150/अ-27/12-13में पारित आदेश दिनांक 28/07/15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-4-19 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	